सन्दर्भ सं- 3/UPGOVT/13940/1 04.06.2020

सेवा में,
श्री राजेंद्र कुमार तिवारी, आईएएस
मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश

विषय: मुख्य सचिव उ०प्र० के निर्देश दिनांक 31.05.2020 के विपरीत सम्पूर्ण मेरठ शहर को जिला प्रशासन द्वारा कन्टेंमेंट ज़ोन घोषित करने से उद्योग एवं व्यवसाय को हानि के सम्बन्ध में।

महोदय,
इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (आई.आई.ए) के मेरठ चैप्टर से संलग्न पत्र के अनुसार प्राप्त सूचनाओ से ज्ञात हुआ है कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अपने निर्देश सं- 1539/ओएसडी-कैम्प/2020 दिनांक 02.06.2020 के अनुसार मेरठ जिले में पूरा मेरठ नगर निगम क्षेत्र एवं मेरठ केन्ट बोर्ड क्षेत्र (वार्ड न० 6,10,28 एवं 31 को छोड़कर) कन्टेंमेंट ज़ोन घोषित किया गया है। यह आदेश मुख्य सचिव उ०प्र० शासन के निर्देश दिनांक 31.05.2020 में वर्णित कन्टेंमेंट ज़ोन घोषित करने की प्रक्रिया के अनुरूप नही है।

इसके अतिरिक्त जिला प्रशासन द्वारा सम्पूर्ण मेरठ शहर में सप्ताह में दो दिन यानि सोमवार और वृहस्पतिवार को पूर्ण लॉकडाउन के आदेश आदेश जारी किये है जिसका आईआईए को कोई तकनीकी और व्यवहारिक औचित्य प्रतीत नही होता है।

यद्धपि जिला प्रशासन की ही प्रेस विज्ञति 02.06.2020 के अनुसार मेरठ शहर के 98 वार्ड में से मात्र 40 वार्ड कन्टेंमेंट ज़ोन में है एसे में अन्य 58 वार्डो में औद्योगिक एवं व्यवसायिक गतिविधियों पर प्रदेश के अन्य जिलों की भांति और मुख्य सचिव के निर्देशों के अनुसार रोक लगाना उचित नही है। जिन वार्डो में आज तक कोई कोरोना पॉजिटिव केस नही है उन्हें कन्टेंमेंट ज़ोन में शामिल करना भी उचित नहीं है।

आईआईए मेरठ चैप्टर द्वारा इस सम्बन्ध में जिला प्रशासन से वार्ता कर समाधान के प्रयास किये गये है परन्तु अभी तक कोई सफलता नही मिली है।

आईआईए कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए पूरी तरह सरकार के साथ है परन्तु इस प्रकिया में जिला प्रशासन द्वारा औद्योगिक एवं व्यवसायिक गतिविधियों को निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन न करते हुए वाधित करना यही दर्शाता है कि जिला प्रशासन उद्योग एवं व्यवसाय के प्रति संवेदनशील नही है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में प्रवासी कामकारों को उद्योगों में रोजगार दिलाने के लिए आईआईए द्वारा प्रदेश सरकार के साथ MOU भी हस्ताक्षरित किया है। यदि जिला प्रशासन उद्योगों को चलने ही नही देगा तो आईआईए इस MOU को कैसे क्रियान्वित कर पायेगा ?

अत: आपसे निवेदन है कि मेरठ जिले में मुख्य सचिव उ०प्र० के 31.05.2020 के निर्देशों के अनुसार ही कन्टेंमेंट ज़ोन घोषित करवाएं जायें जिससे जिले में उद्योग धन्धे और अन्य आर्थिक गतिविधियाँ प्रारम्भ हो सके।

धन्यवाद

मनमोहन अग्रवाल
महासचिव

सन्दर्भ सं- 3/UPGOVT/13940/2 04.06.2020

सेवा में,
श्री अवनीश कुमार अवस्थी, आईएएस
अपर मुख्य सचिव, गृह,
उत्तर प्रदेश

विषय: मुख्य सचिव उ०प्र० के निर्देश दिनांक 31.05.2020 के विपरीत सम्पूर्ण मेरठ शहर को जिला प्रशासन द्वारा कन्टेंमेंट ज़ोन घोषित करने से उद्योग एवं व्यवसाय को हानि के सम्बन्ध में।

महोदय,

इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (आई.आई.ए) के मेरठ चैप्टर से संलग्न पत्र के अनुसार प्राप्त सूचनाओ से ज्ञात हुआ है कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अपने निर्देश सं- 1539/ओएसडी-कैम्प/2020 दिनांक 02.06.2020 के अनुसार मेरठ जिले में पूरा मेरठ नगर निगम क्षेत्र एवं मेरठ केन्ट बोर्ड क्षेत्र (वार्ड न० 6,10,28 एवं 31 को छोड़कर) कन्टेंमेंट ज़ोन घोषित किया गया है। यह आदेश मुख्य सचिव उ०प्र० शासन के निर्देश दिनांक 31.05.2020 में वर्णित कन्टेंमेंट ज़ोन घोषित करने की प्रक्रिया के अनुरूप नही है।

इसके अतिरिक्त जिला प्रशासन द्वारा सम्पूर्ण मेरठ शहर में सप्ताह में दो दिन यानि सोमवार और वृहस्पतिवार को पूर्ण लॉकडाउन के आदेश आदेश जारी किये है जिसका आईआईए को कोई तकनीकी और व्यवहारिक औचित्य प्रतीत नही होता है।

यद्धपि जिला प्रशासन की ही प्रेस विज्ञति 02.06.2020 के अनुसार मेरठ शहर के 98 वार्ड में से मात्र 40 वार्ड कन्टेंमेंट ज़ोन में है एसे में अन्य 58 वार्डो में औद्योगिक एवं व्यवसायिक गतिविधियों पर प्रदेश के अन्य जिलों की भांति और मुख्य सचिव के निर्देशों के अनुसार रोक लगाना उचित नही है। जिन वार्डो में आज तक कोई कोरोना पॉजिटिव केस नही है उन्हें कन्टेंमेंट ज़ोन में शामिल करना भी उचित नहीं है।

आईआईए मेरठ चैप्टर द्वारा इस सम्बन्ध में जिला प्रशासन से वार्ता कर समाधान के प्रयास किये गये है परन्तु अभी तक कोई सफलता नही मिली है।

आईआईए कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए पूरी तरह सरकार के साथ है परन्तु इस प्रकिया में जिला प्रशासन द्वारा औद्योगिक एवं व्यवसायिक गतिविधियों को निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन न करते हुए वाधित करना यही दर्शाता है कि जिला प्रशासन उद्योग एवं व्यवसाय के प्रति संवेदनशील नही है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में प्रवासी कामकारों को उद्योगों में रोजगार दिलाने के लिए आईआईए द्वारा प्रदेश सरकार के साथ MOU भी हस्ताक्षरित किया है। यदि जिला प्रशासन उद्योगों को चलने ही नही देगा तो आईआईए इस MOU को कैसे क्रियान्वित कर पायेगा ?

अत: आपसे निवेदन है कि मेरठ जिले में मुख्य सचिव उ०प्र० के 31.05.2020 के निर्देशों के अनुसार ही कन्टेंमेंट ज़ोन घोषित करवाएं जायें जिससे जिले में उद्योग धन्धे और अन्य आर्थिक गतिविधियाँ प्रारम्भ हो सके।

धन्यवाद

मनमोहन अग्रवाल
महासचिव

सन्दर्भ सं- 3/UPGOVT/13940/3 04.06.2020

सेवा में,
श्री नवनीत सहगल, आईएएस
प्रमुख सचिव
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम व निर्यात प्रोत्साहन विभाग
उत्तर प्रदेश

विषय: मुख्य सचिव उ०प्र० के निर्देश दिनांक 31.05.2020 के विपरीत सम्पूर्ण मेरठ शहर को जिला प्रशासन द्वारा कन्टेंमेंट ज़ोन घोषित करने से उद्योग एवं व्यवसाय को हानि के सम्बन्ध में।

महोदय,

इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (आई.आई.ए) के मेरठ चैप्टर से संलग्न पत्र के अनुसार प्राप्त सूचनाओ से ज्ञात हुआ है कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अपने निर्देश सं- 1539/ओएसडी-कैम्प/2020 दिनांक 02.06.2020 के अनुसार मेरठ जिले में पूरा मेरठ नगर निगम क्षेत्र एवं मेरठ केन्ट बोर्ड क्षेत्र (वार्ड न० 6,10,28 एवं 31 को छोड़कर) कन्टेंमेंट ज़ोन घोषित किया गया है। यह आदेश मुख्य सचिव उ०प्र० शासन के निर्देश दिनांक 31.05.2020 में वर्णित कन्टेंमेंट ज़ोन घोषित करने की प्रक्रिया के अनुरूप नही है।

इसके अतिरिक्त जिला प्रशासन द्वारा सम्पूर्ण मेरठ शहर में सप्ताह में दो दिन यानि सोमवार और वृहस्पतिवार को पूर्ण लॉकडाउन के आदेश आदेश जारी किये है जिसका आईआईए को कोई तकनीकी और व्यवहारिक औचित्य प्रतीत नही होता है।

यद्धपि जिला प्रशासन की ही प्रेस विज्ञति 02.06.2020 के अनुसार मेरठ शहर के 98 वार्ड में से मात्र 40 वार्ड कन्टेंमेंट ज़ोन में है एसे में अन्य 58 वार्डो में औद्योगिक एवं व्यवसायिक गतिविधियों पर प्रदेश के अन्य जिलों की भांति और मुख्य सचिव के निर्देशों के अनुसार रोक लगाना उचित नही है। जिन वार्डो में आज तक कोई कोरोना पॉजिटिव केस नही है उन्हें कन्टेंमेंट ज़ोन में शामिल करना भी उचित नहीं है।

आईआईए मेरठ चैप्टर द्वारा इस सम्बन्ध में जिला प्रशासन से वार्ता कर समाधान के प्रयास किये गये है परन्तु अभी तक कोई सफलता नही मिली है।

आईआईए कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए पूरी तरह सरकार के साथ है परन्तु इस प्रकिया में जिला प्रशासन द्वारा औद्योगिक एवं व्यवसायिक गतिविधियों को निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन न करते हुए वाधित करना यही दर्शाता है कि जिला प्रशासन उद्योग एवं व्यवसाय के प्रति संवेदनशील नही है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में प्रवासी कामकारों को उद्योगों में रोजगार दिलाने के लिए आईआईए द्वारा प्रदेश सरकार के साथ MOU भी हस्ताक्षरित किया है। यदि जिला प्रशासन उद्योगों को चलने ही नही देगा तो आईआईए इस MOU को कैसे क्रियान्वित कर पायेगा ?

अत: आपसे निवेदन है कि मेरठ जिले में मुख्य सचिव उ०प्र० के 31.05.2020 के निर्देशों के अनुसार ही कन्टेंमेंट ज़ोन घोषित करवाएं जायें जिससे जिले में उद्योग धन्धे और अन्य आर्थिक गतिविधियाँ प्रारम्भ हो सके।

धन्यवाद

मनमोहन अग्रवाल
महासचिव

INDIAN INDUSTRIES ASSOCIATION
AN APEX BODY OF MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES
(IN THE SERVICE OF MSME SINCE 1985)

सन्दर्भ सं- 3/UPGOVT/13940/4 04.06.2020

सेवा में,
आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी
मननीय मुख्यमंत्री
उत्तर प्रदेश

विषय: मुख्य सचिव उ०प्र० के निर्देश दिनांक 31.05.2020 के विपरीत सम्पूर्ण मेरठ शहर को जिला प्रशासन द्वारा कन्टेंमेंट ज़ोन घोषित करने से उद्योग एवं व्यवसाय को हानि के सम्बन्ध में।

महोदय,

इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (आई.आई.ए) के मेरठ चैप्टर से संलग्न पत्र के अनुसार प्राप्त सूचनाओ से ज्ञात हुआ है कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अपने निर्देश सं- 1539/ओएसडी-कैम्प/2020 दिनांक 02.06.2020 के अनुसार मेरठ जिले में पूरा मेरठ नगर निगम क्षेत्र एवं मेरठ केन्ट बोर्ड क्षेत्र (वार्ड न० 6,10,28 एवं 31 को छोड़कर) कन्टेंमेंट ज़ोन घोषित किया गया है। यह आदेश मुख्य सचिव उ०प्र० शासन के निर्देश दिनांक 31.05.2020 में वर्णित कन्टेंमेंट ज़ोन घोषित करने की प्रक्रिया के अनुरूप नही है।

इसके अतिरिक्त जिला प्रशासन द्वारा सम्पूर्ण मेरठ शहर में सप्ताह में दो दिन यानि सोमवार और वृहस्पतिवार को पूर्ण लॉकडाउन के आदेश आदेश जारी किये है जिसका आईआईए को कोई तकनीकी और व्यवहारिक औचित्य प्रतीत नही होता है।

यद्धपि जिला प्रशासन की ही प्रेस विज्ञति 02.06.2020 के अनुसार मेरठ शहर के 98 वार्ड में से मात्र 40 वार्ड कन्टेंमेंट ज़ोन में है एसे में अन्य 58 वार्डो में औद्योगिक एवं व्यवसायिक गतिविधियों पर प्रदेश के अन्य जिलों की भांति और मुख्य सचिव के निर्देशों के अनुसार रोक लगाना उचित नही है। जिन वार्डो में आज तक कोई कोरोना पॉजिटिव केस नही है उन्हें कन्टेंमेंट ज़ोन में शामिल करना भी उचित नहीं है।

आईआईए मेरठ चैप्टर द्वारा इस सम्बन्ध में जिला प्रशासन से वार्ता कर समाधान के प्रयास किये गये है परन्तु अभी तक कोई सफलता नही मिली है।

आईआईए कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए पूरी तरह सरकार के साथ है परन्तु इस प्रकिया में जिला प्रशासन द्वारा औद्योगिक एवं व्यवसायिक गतिविधियों को निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन न करते हुए वाधित करना यही दर्शाता है कि जिला प्रशासन उद्योग एवं व्यवसाय के प्रति संवेदनशील नही है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में प्रवासी कामकारों को उद्योगों में रोजगार दिलाने के लिए आईआईए द्वारा प्रदेश सरकार के साथ MOU भी हस्ताक्षरित किया है। यदि जिला प्रशासन उद्योगों को चलने ही नही देगा तो आईआईए इस MOU को कैसे क्रियान्वित कर पायेगा ?

Head Office : IIA Bhawan, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226 010
Tel.: +91-522-2720090, 3248178, Fax: +91-522-2720097, email : iia@iiaonline.in, website : www.iiaonline.in

अत: आपसे निवेदन है कि मेरठ जिले में मुख्य सचिव उ०प्र० के 31.05.2020 के निर्देशों के अनुसार ही कन्टेंमेंट ज़ोन घोषित करवाएं जायें जिससे जिले में उद्योग धन्धे और अन्य आर्थिक गतिविधियाँ प्रारम्भ हो सके।

धन्यवाद

पंकज कुमार
अध्यक्ष

सन्दर्भ सं- 3/UPGOVT/13940/5 04.06.2020

सेवा में,
श्री राजेंद्र कुमार अग्रवाल
सांसद
मेरठ

विषय: मुख्य सचिव उ०प्र० के निर्देश दिनांक 31.05.2020 के विपरीत सम्पूर्ण मेरठ शहर को जिला प्रशासन द्वारा कन्टेंमेंट ज़ोन घोषित करने से उद्योग एवं व्यवसाय को हानि के सम्बन्ध में।

महोदय,

इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (आई.आई.ए) के मेरठ चैप्टर से संलग्न पत्र के अनुसार प्राप्त सूचनाओ से ज्ञात हुआ है कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अपने निर्देश सं- 1539/ओएसडी-कैम्प/2020 दिनांक 02.06.2020 के अनुसार मेरठ जिले में पूरा मेरठ नगर निगम क्षेत्र एवं मेरठ केन्ट बोर्ड क्षेत्र (वार्ड न० 6,10,28 एवं 31 को छोड़कर) कन्टेंमेंट ज़ोन घोषित किया गया है। यह आदेश मुख्य सचिव उ०प्र० शासन के निर्देश दिनांक 31.05.2020 में वर्णित कन्टेंमेंट ज़ोन घोषित करने की प्रक्रिया के अनुरूप नही है।

इसके अतिरिक्त जिला प्रशासन द्वारा सम्पूर्ण मेरठ शहर में सप्ताह में दो दिन यानि सोमवार और वृहस्पतिवार को पूर्ण लॉकडाउन के आदेश आदेश जारी किये है जिसका आईआईए को कोई तकनीकी और व्यवहारिक औचित्य प्रतीत नही होता है।

यद्धपि जिला प्रशासन की ही प्रेस विज्ञति 02.06.2020 के अनुसार मेरठ शहर के 98 वार्ड में से मात्र 40 वार्ड कन्टेंमेंट ज़ोन में है एसे में अन्य 58 वार्डो में औद्योगिक एवं व्यवसायिक गतिविधियों पर प्रदेश के अन्य जिलों की भांति और मुख्य सचिव के निर्देशों के अनुसार रोक लगाना उचित नही है। जिन वार्डो में आज तक कोई कोरोना पॉजिटिव केस नही है उन्हें कन्टेंमेंट ज़ोन में शामिल करना भी उचित नहीं है।

आईआईए मेरठ चैप्टर द्वारा इस सम्बन्ध में जिला प्रशासन से वार्ता कर समाधान के प्रयास किये गये है परन्तु अभी तक कोई सफलता नही मिली है।

आईआईए कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए पूरी तरह सरकार के साथ है परन्तु इस प्रकिया में जिला प्रशासन द्वारा औद्योगिक एवं व्यवसायिक गतिविधियों को निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन न करते हुए वाधित करना यही दर्शाता है कि जिला प्रशासन उद्योग एवं व्यवसाय के प्रति संवेदनशील नही है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में प्रवासी कामकारों को उद्योगों में रोजगार दिलाने के लिए आईआईए द्वारा प्रदेश सरकार के साथ MOU भी हस्ताक्षरित किया है। यदि जिला प्रशासन उद्योगों को चलने ही नही देगा तो आईआईए इस MOU को कैसे क्रियान्वित कर पायेगा ?

अत: आपसे निवेदन है कि मेरठ जिले में मुख्य सचिव उ०प्र० के 31.05.2020 के निर्देशों के अनुसार ही कन्टेंमेंट ज़ोन घोषित करवाएं जायें जिससे जिले में उद्योग धन्धे और अन्य आर्थिक गतिविधियाँ प्रारम्भ हो सके।

धन्यवाद

पंकज कुमार
अध्यक्ष